

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फूलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक .

विषय-“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------|----------------|------------------------|
| 1 | महेश्वरी शर्मा पिता-जामुन शर्मा ग्राम-दिघौन पोस्ट- दिघौन थाना- बेलदौर जिला- खगडिया एम०सी०एस०-10361453 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 2 | सुमीन्ता देवी पति-हरिश्चन्द्र साह ग्राम-तारापाकर चक मदरी पोस्ट-मेहसी थाना- मेहसी जिला पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस०-जी०12534 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 3 | नीरज कुमार पिता- धर्मन्द्र राम ग्राम-खैरवा चौबे टोला पो०- सोनवल थाना मलाही जिला पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस०-जी० 13770/ 10359661 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|----------|--------|------------------------|
| 4 | मारकडेय सिंह पिता- राधा सिंह ग्राम- परमेश्वरपुर पो0- सेमरी थाना- दावत जिला रोहतास एम0सीएसन0-एफ 96909 / 10342801 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 5 | बबीता देवी पति-मनोज राम ग्राम- ककरबद्ध पोस्ट- बंशी पुरदहा थाना- धमदाहा जिला पूर्णिया एम0सीएसन0- 10360425 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 6 | छोटन उदीन पिता-पकदीन मिया ग्राम-औराही वार्ड 02 पो0-आनदपुर मारन थाना- अलौली जिला खगडिया एम0सीएसन0-एफ 88395 / 10334287 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 7 | शत्रुधन कुमार पिता- मुंशी लाल राय ग्राम- इस्माईलपुर पो0 इस्माईलपुर थाना- हाजीपुर सदर जिला- वैशाली एम0सीएसन0-10361605 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 8 | सरयुग मडल पिता- चन्द्र मडल ग्राम-तेतरी टोला पोस्ट-घोषई थाना चौसा जिला मधेपुरा एम0सीएसन0-जी0 13806 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 9 | पुष्पा देवी पति- जय प्रकाश कुमार ग्राम- सिगरहाट पो0+थाना- सोहसराय जिला- नालदा एम0सीएसन0-10359348 / जी 13457 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 10 | राज कुमार शर्मा पिता रंजीत लाल शर्मा ग्राम-फुलभाषा पो0- कन्हरिया थाना- बायसी जिला- पूर्णिया एम0सीएसन0-जी0 10152 / 10356043 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 11 | सुनैना देवी पति- गिरजा देवी ग्राम- खंडी पोस्ट- बिटहो शरीफ थाना चन्दौती जिला गया एम0सीएसन0-जी0 12468 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 12 | गुडिया देवी पति- मुन्ना यादव ग्राम- भदेजा पोस्ट- भदेजी थाना- मुफसिल जिला-गया एम0सीएसन0-10361008 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 13 | उमाशंकर प्रसाद पिता- शिव मडल प्रसाद ग्राम-दुर्गाडीह वार्ड 14 पो0-दुर्गाडीह थाना बिक्रमगज जिला रोहतास एम0सीएसन0-10360505 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 14 | सुदर्शन धानुक पिता स्व0 राम प्रवेश धानुक ग्राम- चकरही पो0- बनाही थाना- बिहिया जिला भोजपुर एम0सीएसन0- 10362352 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 15 | दुर्गावती देवी पति- ईन्द्रमणी महतो ग्राम+पो0-भदवर थाना बगेन गोला जिला बक्सर एम0सीएसन0-10360413 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 16 | फोकुची देवी पति- जियालाल साह ग्राम- झारा पोस्ट- सिसौना थाना महिषी जिला- सहरसा एम0सीएसन0- 10360540 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|-----------|--------|------------------------|
| 17 | इदु देवी पति- शम्भु सिंह ग्राम- रानीपुर पोस्ट- रानीपुर थाना- पालीगज जिला- पटना एम0सीएसन0-10359111 / जी0 13220 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 18 | बबीता देवी पति-स्व0 अमित पासवान ग्राम- छोटी दियावान वार्ड 12 पोस्ट- दियावान थाना- कराय पर सुराय जिला नालदा एम0सीएसन0-एफ 61909 / 10307801 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 19 | चनारिक राय पिता-स्व0 भजन राय ग्राम- मलिकपुर पो0- रूस्तमपुर थाना राघोपुर जिला वैशाली एम0सीएसन0-10361593 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 20 | जुही परवीन पिता-मो हिफजुर रहमान ग्राम-पीरगंज पो0-नरही थाना- किशनपुर जिला सुपौल एम0सीएसन0-जी0 13834 / 10359725 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 21 | रेखा देवी पति भोला प्रसाद वर्मा ग्राम- बडहिया पो0- बडहिया थाना- बडहिया जिला- लखीसराय एम0सीएसन0 एफ 41793 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 22 | मो0 जफीर पिता- शेख शरीफ ग्राम-मेहरपुर वार्ड 04 पो0- बरैनी थाना- पीरपैती जिला भागलपुर एम0सीएसन0-जी0 13146 / 10359037 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 23 | मीरा कुमारी पति- मुन्जी राय ग्राम- जमीरा पो0-जमीरा थाना- आरा मुफसिल जिला भोजपुर एम0सीएसन0-10360680 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 24 | राम बचन पासवान पिता-स्व0 सुदामा पासवान ग्राम- अरी पोस्ट- गैनी थाना-खुदावा जिला औरंगाबाद एम0सीएसन0-जी0 14003/ 10359894 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 25 | अरमीना पति- जमील अख्तर ग्राम- परबुबस्ती पो0- तुलसिया थाना दीघल बैक जिला- किशनगज एम0सीएसन0-10359029 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 26 | सरगम कुमार पिता- रघुनाथ महतो ग्राम परसौन मैलवार पो0+थाना-परसौनी जिला सीतामढी एम0सीएसन0-एफ 10690/ 10256582 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 27 | मुनचुन कुमार पिता-लक्ष्मण साह ग्राम-मिल्की पो0-रगपुरा थाना- मीरगंज जिला- पूर्णिया एम0सीएसन0-जी0 10983 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 28 | नईम खातुन पति-जहरउद्दीन ग्राम-दानियाल परसौन पोस्ट-दानियाल परसौना थाना- साठी जिला-प0 चम्पारण एम0सीएसन0-जी0 10875 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 29 | जानकी देवी पति-बलीराम सिंह ग्राम-दुधरा पो0 दुधरा थाना-गोरैया कोठी जिला- सीवान एम0सीएसन0-एफ 38368 /10284260 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 30 | सिया जानकी देवी पति-स्व० नन्द लाल साह ग्राम+पो०-गारा उर्फ गोविंदपुर देवी, थाना-पातेपुर जिला- वैशाली एम०सीएसन०-जी० 13522 /10359413 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 31 | अजीत सिंह पिता- विजेन्द्र सिंह ग्राम+पो०-रामनगर खावन थाना-आलम नगर जिला- मधेपुरा एम०सीएसन०-10361187 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 32 | शहनाज खातुन पति- मो० कमाल ग्राम-कुवही पो०- कोईरीगांवा थाना बडहरिया जिला- सीवान एम०सीएसन०- 10325648/ जी० 79756 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 33 | शेषनाथ शर्मा पिता- स्व० सत्यनारायण शर्मा ग्राम- रामापुर सनदियॉ पो०- रतनपुर थाना- मुफसिल जिला भोजपुर एम०सीएसन० जी० 12235 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 34 | गोल चेहरा पिता-अफान अली ग्राम-कजरा बेतौना पो०- बेतौना थाना- कसबा जिला-पूर्णिमा एम०सीएसन०- 10361207 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 35 | देवराज कुमार पिता- लखनदेव राय ग्राम- मोहरा घाट परास पो०- मोहरा घाट थाना- अलौली जिला खगडिया एम०सीएस-जी० 13984/ 10359875 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 36 | दशरथ महतो पिता- बनाई महतो ग्राम- सलहा पो0 बरिअरवा थाना- चौतरवा जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस- 10359665 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 37 | राम देवी पति- विनोद साह ग्राम-मजिरवा पो0- मजिरवा थाना लखौरा जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10361596 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 38 | जमादार मिया पिता- दुखी मिया ग्राम+पो0- नागदहा थाना मलाही जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 14359 / 10360250 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 39 | कारी देवी पति- मोती मडल ग्राम-सतगामा पोस्ट+थाना- जमुई जिला जमुई एम0सी0एस-जी0 13662 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 40 | अब्बुजर असारी पिता-कलाम असारी ग्राम- कोररा वार्ड 5 पो0-कुनौनि थाना- बाका जिला- बांका एम0सी0एस-जी0 14459 / 10360350 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 41 | मुकेश कुमार सिंह पिता- रामाधार सिंह ग्राम- रामपुर पटोरी पोस्ट- बनचौटी थाना पुनौरा जिला सीतामढी एम0सी0एस-जी0 13781/ 10359672 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 42 | सुशीला देवी पति- परमानन्द पोद्दार ग्राम- बेलारी पो0 बेलारी थाना- उजियारपुर जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-10360595 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|-----------|--------|------------------------|
| 43 | सुनील कुमार पिता- महेन्द्र ठाकुर ग्राम- देवपथ नियर त्रिदेव मदिर पो0-नई जगनपुरा थाना- रामकृष्णा नगर जिला पटना एम0सी0एस-10361173 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 44 | सूर्य नरायण पासवान पिता- देवनदन पासवान ग्राम+पो0-मधुबनी थाना- ललित ग्राम ओपी जिला सुपौल एम0सी0एस-एफ 97845 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 45 | जपीत यादव पिता- रौशन यादव ग्राम+पो0- भदवर थाना- चादी जिला- भोजपुर एम0सी0एस-जी0 9007 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 46 | देवलाश देवी पति-रामजन्म सिंह ग्राम-जमुआवन पो0-ताजपुर थाना महकार जिला गया एम0सी0एस-जी0 14275/ 10360166 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 47 | सैमुन निशा पति- शौकिन ग्राम-मकदूमपुर कोदरिया पो0-मसूरपुर चमरूआ थाना करजा जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 13924 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 48 | सुरेन्द्र कुमार साह पिता- खिलानन्द साह ग्राम- परमानंदपुर पोस्ट- परमानंदपुर थाना- श्रीनगर जिला- मधेपुरा एम0सी0एस-10361755 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 49 | सुष्मिता प्रियदर्शनी पति- मनोज कुमार ग्राम-नौबतपुर लोटन पोस्ट-छबिलापुर थाना मानपुर जिला- नालन्दा एम0सी0एस- 10360576 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|-------------------------|
| 50 | जगपतिया देवी पति- कपिल मोची ग्राम+पो0-हाजीपुर बिल्लौर थाना- बाढ जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 14457 / 10360348 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 51 | गंगाजल देवी पति-गिरिजा प्रसाद ग्राम-रेगनियाबाग पोस्ट- धोबियाकलापुर थाना- नौबतपुर जिला- पटना एम0सी0एस- 10361660 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 52 | मनीष कुमार पिता- राजेश पासवान ग्राम- चान्दो वार्ड 09 पोस्ट- दिवनियाँ थाना-बाराचट्टी जिला गया एम0सी0एस- 10358927 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 53 | भोला राय पिता- स्व0 दुखन राय ग्राम-जीतवारपुर भुस्खारा पोस्ट-इन्द्रवारा थाना हलई जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-10360859 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 54 | मो0 कमरूल पिता- मो0 गफफार ग्राम-तोईमठ पोस्ट- पहाडपुर तोई थाना सहदेई ओ0पी0 जिला- वैशाली एम0सी0एस-10360732 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 55 | नीतीश कुमार पिता- महेश मिस्त्री ग्राम- नौगढ पो0- समसपुर थाना बेलागंज जिला गया एम0सी0एस-10361197 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 56 | हीरा देवी पति- स्व0 रामप्रीत साह ग्राम-निकसपुर पो0- अकहा विशनपुर थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-ई0 90239 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 57 | कमला देवी पति- नरेश दास ग्राम- अगारी पो- पुरैनी थाना- जगदीशपुर जिला- भागलपुर एम0सी0एस-10362324 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 58 | अमृत लाल यादव पिता- सिंगेसर यादव ग्राम- गोढियारी 04 पो- बरहमपुर थाना- फुलपरास जिला मधुबनी एम0सी0एस-जी0 1732 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 59 | कुदरत असारी पिता- गुलाम पीर असारी ग्राम- नुआंव पो- कबिलासपुर थाना- दुर्गावती जिला कैमुर, भभुआ एम0सी0एस-जी0 13726 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 60 | अशोक राम पिता- राम लखन राम ग्राम- सिगाडी पो- टडवलीया थाना- सेमरा बाजार जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 7082 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 61 | सुशीला देवी पति- आनन्द कुमार ग्राम- नया टोला पो- एकचारी थाना- रसुलपुर जिला भागलपुर एम0सी0एस-10360713 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 62 | मो0 कासीम असारी पिता- मजीद अंसारी ग्राम+पो0 नानपुर थाना- नानपुर जिला सीतामढी एम0सी0एस-10360457 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 63 | राधा देवी पति- फकीरचन्द्र राय ग्राम-सैदपुर पो- बिशनपुर थाना- कटरा जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 69270 / 10315162 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|----------|------------------------|
| 64 | वदना देवी पति- बबलु कुमार ग्राम- कुटारी पोस्ट- नारोमुरार थाना वारसलीगज जिला नवादा एम0सी0एस-जी0 12094 / 10357985 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 65 | मजु देवी पति- बिरेन्द्र प्रसाद ग्राम-मानपुर सुधि टोला पो0- बुनियादगंज थाना- मुफसिल जिला गया एम0सी0एस-10360615 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 66 | मो0 लतीफ पिता- मो0 इस्लाम ग्राम+पो0-रौतारा थाना- रौतारा जिला- कटिहार एम0सी0एस-10350694 / जी0 4803 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 67 | शिव शकर सिंह पिता- स्व0 नौरंगी सिंह ग्राम-पो0-केशोपुर थाना- झाझा जिला-जमुई एम0सी0एस-10361966 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 68 | कविता देवी पति-उपेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-पुराना हरिपुर पो0- पुराना हरिपुर थाना- कोइलवर जिला भोजपुर एम0सी0एस-10360656 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 69 | सतीश कुमार पिता- रामचन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम- गोरखरी पो0-गोरखरी थाना- बिक्रम जिला पटना एम0सी0एस-जी0 7954 10353845 | बोन मैरो ट्रास्ट्लॉट | 4,00,000 | चार लाख स्वीकृत। |
| 70 | चन्दा झा पति- अनत झा ग्राम- गोरगामा पोस्ट- तारापुर थाना तारापुर जिला- मुंगेर एम0सी0एस- 10360227 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 71 | सपना कुमारी पिता दिनेश सिंह ग्राम- महरूआ पोस्ट- गडखा थाना- भेल्दी जिला- सारण एम0सी0एस-जी0 11582 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 72 | भोला पासी पिता- बबन चौधरी ग्राम- इचारी पोस्ट- इचारी थाना आयर जिला भोजपुर एम0सी0एस-10360917 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 73 | मो0 साहील पिता- मो0 आलम ग्राम+पो0-कुआडी थाना- कआडी ओ0पी0 जिला- अररिया एम0सी0एस- 10361724 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 74 | सुशीला देवी पति- राजेन्द्र राय ग्राम हीलालपुर पोस्ट- हीलालपुर थाना- औद्योगिक क्षेत्र जिला वैशाली एम0सी0एस-10359715 / जी0 13824 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 75 | सोनी कुमारी पिता संजीत कुमार ग्राम-मालपुर पो0 दलसिहसराय थाना- दलसिहसराय जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 10701 / 10356592 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 76 | उर्मिला देवी पति- राज कुमार यादव ग्राम-सोनवारी पोस्ट- भरिया बिशनपुर थाना राजनगर जिला- मधुबनी एम0सी0एस-10361113 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 77 | चन्द्रमा साह पिता- महेश साह ग्राम- बिशुनपुरा पोस्ट- इसुआपुर थाना- इसुआपुर जिला सारण एम0सी0एस-10361670 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 78 | विश्वनाथ प्रसाद पिता-स्व० लक्ष्मी प्रसाद ग्राम- जगनपुरा पो०-रामकृष्णा नगर थाना-रामकृष्णा नगर जिला पटना एम०सी०एस-10362167 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 79 | राम नाथ चौधरी पिता- मोहराई चौधरी ग्राम-गोविंदपुर पो०- दलियाना थाना बिक्रम जिला पटना एम०सी०एस-10361467 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 80 | नरेश देवी पति- बट्टी साह ग्राम+पो० काझी थाना- बनमनखी जिला- पूर्णिया एम०सी०एस-10353593 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 81 | सत्येन्द्र प्रसाद यादव पिता- स्व० प्रसादी यादव ग्राम- हरलापोस्ट- बाघीबरडीहा थाना- कादिरगंज जिला नवादा एम०सी०एस-10360951 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 82 | मनोज कुमार मंडल पिता- गंगा मंडल ग्राम+पो०-अकबर नगर थाना- अकबर नगर जिला भागलपुर एम०सी०एस-जी० 11262 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 83 | असतेरून पति- कफील ग्राम-खुटिया 15 पो०-खोखसा थाना- बायसी जिला पूर्णिया एम०सी०एस-10360860 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 84 | माधुरी देवी पति- चन्देश्वर महतो ग्राम- रामपुर गली खुशवहा पंचायत पो०- महेन्द्रु थाना बहादुरपुर जिला पटना एम०सी०एस-10360905 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|-----------|--------|------------------------|
| 85 | दुलारी देवी पति-दिनेश महतो ग्राम- मझौलीया पोस्ट ब्राहंडा थाना- मीनापुर जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-10360564 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 86 | सीता देवी पति- भोला पासवान ग्राम-मोहनपुर धनराज पो0- शेरपुर छतवारा थाना- महुआ जिला वैशाली एम0सी0एस- 10361438 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 87 | उषा देवी पति- रामलाल राम ग्राम- करहबारी पो0- भोजपुर थाना बरदाहा जिला- अररिया एम0सी0एस-10359392 जी0 13501 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 88 | शैमुन निशा पति- रब्बुदीन असारी ग्राम-धुप नगर पो0-धोबवाल थाना- खैरा जिला- सारण एम0सी0एस-10360959 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 89 | उषा देवी पति- बिदेश्वरी मिस्त्री ग्राम- भरुब पो0- भरुब थाना ओबरा जिला- औरंगाबाद एम0सी0एस-10358746 जी0 12855 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 90 | जितनी देवी पति-बच्चु यादव ग्राम- सिंहमा पो0 सिंहमा थाना- बिथान जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 13891/ 10359782 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 91 | कचन प्रसाद सिन्हा पिता स्व0 किशोरी राम ग्राम-सीमानपुर पो0- सदीपुर थाना-पीरपैती जिला भागलपुर एम0सी0एस- 10351623/जी0 5732 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|--------------------------|----------|------------------------|
| 92 | ललिता देवी पति- नवीन कुमार मडल ग्राम- बेलवाडा पोस्ट- निशिहारा थाना- घनश्यामपुर जिला दरभंगा एम0सी0एस-एफ 98567 / 10344459 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 93 | संजीदा पति- मो0 शाहबाज ग्राम- मजगावा पो0- भुना थाना महलगाव जिला- अररिया एम0सी0एस- 10360914 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 94 | रमेश प्रसाद सिंह पिता- नागेश्वर सिंह ग्राम- लछुआरा वार्ड 10 पो0 लछुआरा थाना- लछुआरा जिला जमुई एम0सी0एस-डी0 94231 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 95 | गिरजन मांझी पिता-गुचरण मांझी ग्राम- चिरांद पो0- चिराद थाना- डोरीगज जिला सारण एम0सी0एस-जी0 12958 / 10358849 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 96 | विजेन्द्र कुमार पिता-भगवान राय ग्राम-सुल्तानपुर वार्ड 17 पो0-दानापुर कैट थाना दानापुर जिला-पटना एम0सी0एस-10345755 / जी0 99863 | बोन मैरो ट्रास्प्लांट | 4,00,000 | चार लाख स्वीकृत। |
| 97 | सुदेश्वर केवट पिता-शिव नारायण केवट गाम-भुपतिपुर पोस्ट-ढेलवा थाना- रामकृष्णा नगर जिला पटना एम0सी0एस-10360932 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 98 | बिमला देवी पति- नरेद्र सिंह ग्राम- भोजूबिगहा वार्ड 15 पो0- कोशिला थाना- मगध विश्वविद्यालय जिला- गयाजी एमसीएस नं0- जी 10710 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|-----------|-------------|-------------------|
| 99 | बलिराज देवी पति- मिथिलेश सिंह ग्राम- आर एन कॉलेज के पास बैंक मेस कॉलोनी पो0- हाजीपुर थाना- हाजीपुर नगर जिला- वैशाली एमसीएस नं0- 94889 / 10045137 | कैंसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| | | | ₹ 85,20,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,20,000/- (पचासी लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002618... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1275(14)

पटना, दिनांक

06/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना की प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002618... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
06/5/26

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान सस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अजीत कुमार पिता- राजदेव राय ग्राम+पो०+थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- अंकित नहीं है। | ड्रामा | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 2 | सुरेन्द्र कुमार पिता- स्व० हिरदय नारायण सिंह ग्राम+पो०- कोयलभूपत थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल सीआर नं०- 108112501574871 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 3 | शिवनाथ सिंह पिता- वासुदेव सिंह ग्राम- जहानपुर पो०- ककढिया थाना- खैरा जिला- सारण सीआर नं०- 108112503441844 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 4 | सतोषी देवी पति- दिलीप कुमार ग्राम- ककरहट पो०- सुतिहार थाना- डेरनी जिला- सारण सीआर न०- 108112403577340 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|----------|---|
| 5 | सबिता देवी पति- जयेन्द्र मणि मिश्रा ग्राम- बिशुनपुरवा पो0- बीबी बनकटवा थाना- बथवरिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112300991148 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 6 | सरस्वती देवी पति- ब्रह्मदेव मिस्त्री ग्राम- मेदनीपुर पो0- गौरा थाना- लक्ष्मीपुर जिला- जमुई सीआर न0- 108112503621362 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 7 | चन्द्रिका सिंह पिता- हरदेव सिंह ग्राम- मोहिउद्दीनपुर वार्ड 13 पो0- बालुकाराम थाना- वैशाली जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300223841 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 8 | प्रभुनाथ सिंह पिता- रेखा सिंह ग्राम+पो0- हरिहरपुर कला थाना- जामो बाजार जिला- सिवान सीआर नं0- 108112300331474 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 9 | चिन्ता देवी पति- देवी लाल सिंह ग्राम- नौडीहा पोस्ट- धरमपुर थाना- फतेहपुर जिला- गया सीआर न0- 108112600723242 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 10 | अजय कुमार पिता- स्व0 बद्री नारायण गुप्ता ग्राम- झीगनगर पोस्ट+थाना- बिहार शरीफ जिला- नालंदा सीआर न0- 108112601078146 | कैसर रोग | 1,80,000 | एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 11 | पूर्णिमा देवी पति- रिझान सिंह ग्राम- 103 हार्डी स्टेट बैंक रोड पोस्ट- जी0पी0ओ0 थाना- गांधी मैदान जिला- पटना सीआर न0- 108112400976197 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | 9,95,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,95,000/- (नौ लाख पन्चानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 ~~002678~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000i507 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1276(14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 ~~002678~~ ... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
06/5/26

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|--------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | चंचल कुमार पाडेय पिता- विश्वनाथ पाडेय ग्राम- सराँव पो०- पवनी थाना- नासरीगज जिला- रोहतास रजि न०- 3000611902 | गुर्दा प्रत्यारोपन | 3,00,000 | तीन लाख स्वीकृत। |
| 2 | रेखा देवी पति- मनोहर झा ग्राम- ननौर वार्ड 01 पो०- ननौर थाना- रूद्रपुर जिला- मधुबनी रजि नं०- 3000633458 | हर्निया सर्जरी | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 3 | अरविन्द गिरी पिता- बिरलानन्द गिरी ग्राम- विश्वम्भरपुर पो०- बसंत थाना- डेरनी जिला- सारण यूएचआईडी न०- अंकित नहीं है। | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 4 | धर्म बीर प्रसाद पिता- जुगल प्रसाद ग्राम- तीरनगर वार्ड 10 पो०- मीरनगर थाना- सरमेरा जिला- नालदा यूएचआईडी नं०- 3000566318 | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|----------|----------|---------------------|
| 5 | रुबी देवी पति- बिट्टू राय ग्राम- पोसुआ वार्ड 13 पो0- पोसुआ थाना- रिगा जिला- सीतामढी यूएचआईडी नं0- 3000608316 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 6 | शबनम पति- हनान अंसारी ग्राम- मदनी टोला ढाका पो0+थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी नं0- 3000632984 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 7 | मास्टर पार्थ बेलिया पिता- जय बेलिया ग्राम- बद्री काम्प्लेक्स न्यु रोड चौक वार्ड 66 पो0- झाऊगंज थाना- चौक जिला- पटना यूएचआईडी नं0- 3000321177 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 8 | पप्पू दास पिता- बाबूलाल दास ग्राम- कसिमबाग हनुमान मंदिर के पास वार्ड 02 पो0- मिरजानहाट थाना- हबीबपुर जिला- भागलपुर यूएचआईडी नं0- 3000633053 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| | | | 6,80,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,80,000/- (छः लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002618..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **1649826000011** खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।

5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1277(14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002678 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 29.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | नितीश कुमार पिता- रमेश शर्मा ग्राम- बेनी बीघा पो०+थाना- गुरुआ जिला- गयाजी | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 2 | अजय कुमार शर्मा पिता- बिजेंद्र शर्मा ग्राम- सोहसराय चौक पो०+थाना- सोहसराय जिला- नालंदा | स्पाईन सर्जरी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 3 | कृष्णा देवी पति- जलेश्वर तिवारी ग्राम+पो०- सुनदरपुर बरजा थाना- धोबर्हा जिला- भोजपुर | स्पाईन सर्जरी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 4 | बरफी देवी पति- परमेश्वर गुप्ता ग्राम- भभुआ वार्ड 11 पो०+थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ | स्पाईन सर्जरी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 5 | जय किशोर चौधरी पिता- विश्वनाथ चौधरी ग्राम- अनवल के टोला पो०- अनवल थाना- कोपा जिला- सारण | स्पाईन सर्जरी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|---------------|-----------|--------------------------------|
| 6 | मंजू कुमारी पति- अजय किशोर श्रीवास्तव ग्राम- राज नगर पीजी रोड पो0+थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 7 | अनुज कुमार पिता- अखिलेश्वर साह ग्राम+पो0- परमानदपुर थाना- सोनपुर जिला- सारण | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 8 | अशोक पासवान पिता- शिवालक पासवान ग्राम+पो0- करनौती थाना- वैशाली जिला- वैशाली | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 9 | नाजीर अली पिता- अफसर अली ग्राम- मुस्लिम टोला बौलिया पो0- आर0 एन0 बौलिया थाना- मनिहारी जिला- कटिहार | स्पाईन सर्जरी | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 10 | सत्येद्र कुमार पिता- जगदीश प्रसाद अरूण ग्राम- जलालपुर पो0- इमादपुर थाना- सराय जिला- वैशाली | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 11 | सुबोध कुमार पिता- देवनंदन राम ग्राम- पैमार घाट पो0+थाना- पुनपुन जिला- पटना | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| | | | 12,25,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,25,000/- (बारह लाख पच्चीस हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002618 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्राउंड फ्लौर ओजोन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 06/5/2026

ज्ञापांक 1278(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002678 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा मे,
निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबध मे।
महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दो में |
|---------|--|--------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | आयुष शकर पिता- ओम शंकर ग्राम- न्यु जगनपुरा नियर दुर्गा मदिर मेन रोड पो0- नई जगनपुरा थाना- रामकृष्णा नगर जिला- पटना | गुर्दा प्रत्यारोपण | 3,00,000 | तीन लाख स्वीकृत। |
| | | | 3,00,000/- | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0.002678 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस0एम0ई0 ब्रांच, डाकबंगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं0 SBINC001513 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1279(14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं०. 002678 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|-------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | शक्ति कुमार सिंह पिता- बलराम सिंह ग्राम- खेतिला पो०- तेतर थाना- अतरी जिला- गयाजी | हृदय रोग बीएमभी | 40,000 | चालीस हजार स्वीकृत। |
| 2 | पीयूष कुमार पिता- विजय कुमार सिंह ग्राम- आदर्श कॉलोनी रोड नं०- 04 पो०- नई जगनपुरा थाना- रामकृष्णा नगर जिला- पटना | LT PRE AURICAL SINUS | 30,000 | तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 3 | श्याम नदन प्रसाद पिता- कीशुदेव रॉय ग्राम- नई बिग्रहपुर पो०- जी०पी०ओ० थाना- जक्कनपुर जिला- पटना | हृदय रोग पीटीसीए | 85,000 | पचासी हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,55,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 1,55,000/- (एक लाख पचपन हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002678 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०

31792937290, खाता धारक का नाम— फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम—हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड स० **SBIN0009005** मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 06/5/2026

ज्ञापाक 1280 (14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002648 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक,
डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
आस्था लोक हौस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
कंकडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सुबोध कुमार राय पिता- महेस्वर राय ग्राम+पो०- नत्थूद्वार थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर | ट्रामा | 55,000 | पचपन हजार स्वीकृत। |
| 2 | संतोष कुमार चौधरी पिता- अमरनाथ चौधरी ग्राम+पो०+थाना- नेहरा जिला- दरभंगा | स्पाईन सर्जरी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | 1,55,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,55,000/- (एक लाख पचपन हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002678 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं०- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1281(14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002678 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा0 आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | नीलम देवी पति- ओम प्रकाश प्रसाद ग्राम- पुरन्दरपुर पुलिस चौकी पो0- जी0पी0ओ0 थाना- जक्कनपुर जिला- पटना | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 2 | विजय कुमार ठाकुर पिता- जग नारायण ठाकुर ग्राम- शिवपुरी पोखडिया पोस्ट- बुसरै थाना- बेगुसराय टाउन जिला-बेगुसराय | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | 2,00,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002678 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1282(14)

पटना, दिनांक

06/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 002618 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैंसर सेक्टर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

| क्रमांक | मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या | रोग | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|-----------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कंचन देवी पति- दिनेश मंडल ग्राम- हजारी टोल चन्द्रही पो०- चन्द्रही थाना- धमदाहा जिला- पूर्णियाँ | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 2 | योगेन्द्र कुमार पिता- बच्चू सिंह ग्राम+पो०- नेरुत थाना- सरे जिला- नालदा | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 3 | अनत महतो पिता- स्व० कुलदीप महतो ग्राम+पो०- मलिया थाना- चानन जिला- लखीसराय | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 4 | मो० खतीब पिता- मो० फखरुद्दीन ग्राम- चोंद बाजितपुर पो०+थाना- बेलागज जिला- गयाजी | कैंसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 5 | उरप्रमिला देवी पति- मकेश्वर यादव ग्राम+पो0- बिलौरी थाना- लखीसराय जिला- लखीसराय | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 6 | सजरी खातून पति- सरीफ ग्राम- सलता पो0- हफनिया थाना- अमौर जिला- पूर्णियाँ | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 7 | रामदयाल राम पिता- ललन राम ग्राम+पो0- राजवटिया थाना- बगहा जिला- पश्चिम चम्पारण | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 8 | शिव कुमारी देवी पति- अशोक कुमार प्रसाद ग्राम+पो0- अवारी थाना- मढौरा जिला- सारण | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 9 | रामौती देवी पति- राजनरायन यादव ग्राम- प्रसौडा टोला पो0- प्रसौडा थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 10 | प्रमिला देवी पति- शोभित प्रसाद यादव ग्राम- गाँधीपुर पो0+थाना- बरियारपुर जिला- मुगेर | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 11 | उपेन्द्र महतो पिता- दमरी महतो ग्राम- पहाडपुर पश्चिम पो0- राघोपुर थाना- जुरावनपुर जिला- वैशाली | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 12 | रेहान महफूज पिता- महफूज आलम ग्राम- खोदा नगर वार्ड 13 पो0- मोतिहारी थाना- छतौनी जिला- पूर्वी चम्पारण | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 13 | गणेश साव पिता- रामदेनी साव ग्राम+पो0- नौरंगा थाना- मुफसिल जिला- गयाजी | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 14 | रुको देवी पति- वकील यादव ग्राम- गगानगर कदवा पो0- खैरपुर कदवा थाना- कदवा ओ पी जिला- भागलपुर | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 15 | कविता देवी पति- राजेश मडल ग्राम+पो0+थाना- बाखरपुर जिला- भागलपुर | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 16 | रुकमनी कुमारी पिता- प्रदीप कुमार साह ग्राम- ठाकुरबाडी रोड जगन्नाथ स्कूल पो0+थाना- किशनगज जिला- किशनगज | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 17 | रामदेव ठाकुर पिता- हरी ठाकुर ग्राम- पचलख डीह पो0- पचलख थाना- परसा जिला- सारण | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 18 | मो0 अख्तर पिता- ए रहमान ग्राम+पो0- बेला थाना- जयनगर जिला- मधुबनी | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 19 | महेद्र रजक पिता- स्व0 भोला रजक ग्राम- जमालदीपुर पो0- गौरीपुर थाना- बिहपुर जिला- भागलपुर | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 20 | शम्भू साह पिता- धनिकलाल साह ग्राम+पो0+थाना- घोघरडीहा जिला- मधुबनी | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 21 | अजुम आरा पति- मो0 रेयाज ग्राम- लालकोठी दानापुर कैट पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 22 | कपिलदेव यादव पिता- छातो यादव ग्राम- बेगुचा पो0- चेवाडा थाना- करडे जिला- शेखपुरा | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|------------------------|
| 23 | कलावती देवी पति- बिनोद साह ग्राम- कल्याणपुर पो0- कर्णपुरा थाना- गोरेयाकोठी जिला- सिवान | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 24 | राजदेव प्रसाद पिता- स्व0 देवराजीत यादव ग्राम- देवकुली पो0- सेरथुआ थाना- टेहटा जिला- जहानाबाद | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 25 | बुलबुल देवी पति- मगला लाल हरिजन ग्राम- नटवापारा पो0- धनपतगंज थाना- कोचाधामन जिला- किशनगज | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 26 | नौसाद आलम पिता- इस्लाम ग्राम- सतबीटा नया टोला पो0- अररिया बैरगाछी थाना- जोकिहाट जिला- अररिया | कैंसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| | | | 19,40,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 19,40,000/- (उन्नीस लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002678 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैंसर सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 मे अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 1283(14)

पटना, दिनांक

06/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 0026+8 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
6/5/26

स० सं०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सगीता सिंह पति- अरुण कुमार ग्राम+पो०- खरिका थाना- पहलेजा जिला- सारण | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| | | | 80,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002678 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1284(14)

पटना, दिनांक

06/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002678 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,
निदेशक

डा0 बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि0) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 29.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | यदुनंदन चौधरी पिता- नीरज कुमार चौधरी ग्राम- सगुना पुलिस चौकी पोस्ट- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना | Upper GI BLEED | 30,000 | तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 2 | उषा देवी पति- पाचु राय ग्राम- शिव रतन राय चिल्ड्रेन पार्क सगुना दानापुर पटना पोस्ट-दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना | Obstruction Abdomen | 30,000 | तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 3 | मनीष कुमार पिता- चन्द्रेश्वर प्रसाद शर्मा ग्राम-12ए0 इमसन रोड नियर पोस्ट आफिस दानापुर कैट पो0-दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना | Umbilical Hernia | 40,000 | चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| | | | ₹ 1,00,000/- | |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002678 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के

माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— **442820110000158** खाता धारक का नाम—**DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD** खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—**बैंक आफ इंडिया**, शाखा का नाम—**बोरिंग कनेल रोड, पटना, बिहार—800001** RTGS/IFSC कोड सं० **BKID 0004428** में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।** प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष"**, खाता सं०— **30121380424**, IFSC Code- **SBIN0006379**, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 06/5/2026

ज्ञापाक 1285(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002678 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बीग अपोलो स्पेद्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक... ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 29.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------|----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | युगेश प्रसाद पिता—शिवदेनी महतो ग्राम—देशपुर पो0— देशपुर थाना— अम्बा जिला— औरंगाबाद | नी रिपलेस्मेट | 1,50,000 | एक लाख पचास हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,50,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 002678 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1286(14)

पटना, दिनांक

06/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~002678~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक... ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रामबली देवी पति— स्व० सिपाही पंडित ग्राम+पो०— लोमा थाना— गायघाट जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न०— 19एफ2025/001366 | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 2 | नाजनी खातून पति— सैफुल्लाह खालिद ग्राम— बीबी पाकर पो०— लालबाग थाना— लेहेरियासराय जिला— दरभंगा केस फाईल नं०— 19एफ2025/006739 | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 3 | समीदा खातून पति— मो० मकसूद राईन ग्राम— बकुची पो० बरैटा थाना— कटरा जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न०— 19एफ2023/004095 | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 4 | सीमा देवी पति— विक्रमा सिंह ग्राम— सिकटी खानजहाँ टोले पचरूखवा पो०— सोनौली थाना— मशरक जिला— सारण केस फाईल न०— 19एफ2026/001823 | कैंसर रोग | 25,000 | पच्चीस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|---------------------|
| 5 | चदेश्वर कुमार पिता- सुगन्धि राय ग्राम+पो0- भोपतपुर थाना- कोटवा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/001184 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 6 | रोहिनी कुमारी पिता- अर्जुन पडित ग्राम+पो0- माहे थाना- सिधिया जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं0- 19एफ2026/001588 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 7 | रेणु सिंह पति- दिनेश सिंह ग्राम- बहुअरवा पो0- उटेशन थाना- सलखुआ जिला- सहरसा केस फाईल न0- 19एफ2026/002882 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 8 | मास्टर सत्यम कुमार पिता- चन्दन कुमार ग्राम- लालगज पो0- ढोलबज्जा बज्जार थाना- मोहनपुर जिला- पूर्णिया केस फाईल न0- 19एफ2026/002703 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 9 | अशु कुमारी पिता- मोहन प्रसाद ग्राम- पुरानी बाजार पो0- नरकटियागज थाना- शिकारपुर जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2024/001262 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 10 | राकेश दास पिता- शिशिर दास ग्राम+पो0- सिरसा कॉलोनी थाना- मुफरिसल जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 11एफ2023/019024 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 11 | गगोत्री देवी पति- अरुण कुमार मिश्रा ग्राम- महेशपुर पो0- तेपरी थाना- हत्था जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- केई/82530 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|---------------------|
| 12 | मो0 नसीम अंसारी पिता- मो0 सलीम ग्राम- रतनपुर केवल पो0- कटेसर थाना- बरियारपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 11एफ2025/028404 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 13 | रामदेव राय पिता- रामवृक्ष राय ग्राम- चक्की रामपुर पो0- कोरलहिया थाना- महिन्दवारा जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19एफ2026/000366 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 14 | राकेश कुमार राय पिता- सोनेलाल राय ग्राम+पो0- मझौरा पो0- रिगा जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19एफ2025/001301 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 15 | सुमन कुमार मरांडी पिता- मधु मरांडी ग्राम- चौनी टोला भटवारा पो0- भटवारा थाना- कोढा जिला- कटिहार केस फाईल नं0- 19एफ2024/002745 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 16 | रामदुलारी देवी पति- महेद्र साह ग्राम+पो0- बनौल थाना- बोखडा जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19एफ2025/006202 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 17 | रामनन्दन सिंह पिता- रामकृपाल सिंह ग्राम- रुदहान पो0- अदिगोपालपुर थाना- बोचहा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025/001923 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 18 | सुनील कुमार पिता- हरेद्र किशोर ठाकुर ग्राम- बस स्टैंड के सामने कोइरिया टोला पो0+थाना- रक्सौल जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2025/007389 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|---------------------|
| 19 | मो० कलीम पिता- मो० हलीम ग्राम- बाटा गली जूरन छपरा पो०- एम०आई०टी० थाना- ब्रह्मपुरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- केडी/80310 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 20 | चद्रकला देवी पति- देवनारायण चौधरी ग्राम- भैरोपट्टी पो०- दिघरा थाना- बैनी जिला- समस्तीपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/007354 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 21 | रविरंजन गिरी पति- धर्मेन्द्र कुमार गिरी ग्राम- मुबारकपुर के मठिया पो०- चौनपुर थाना- सिसवन जिला- सिवान केस फाईल नं०- 19एफ2025/005196 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 22 | नियाज अली पिता- अफसर अली ग्राम-भेरमारा पो०+थाना- मनसाही जिला- कटिहार केस फाईल नं०- 19एफ2025/006270 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 23 | बबन सिंह पिता- स्व० उदित नारायण सिंह ग्राम+पो०- बेलहिया थाना- तरियानी जिला- शिवहर केस फाईल न०- 19एफ2025/004490 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 24 | सगम कुमारी पिता- शम्भू कुमार ग्राम- कल्याणपुर जगरनाथपुर पो०- कल्याणपुर थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल न०- 19एफ2026/001073 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 25 | नथुनी राय पिता- दुकरू राय ग्राम- खोपि पो०- धनुषी थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी केस फाईल न०- 19एफ2025/006607 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|----------|---------------------|
| 26 | रमेश सहनी पिता- शिवबालक सहनी ग्राम- लालबेगिया पो0- मिश्रीलिया थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/000216 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 27 | विमल किशोर सिंह पिता- रामस्वार्थ सिंह ग्राम+पो0- जारग रामपुर थाना- बेलसर जिला- वैशाली केस फाईल नं0- 19एफ2025/005360 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 28 | विभा देवी पति- राजन सिंह ग्राम- चदवारा पो0+थाना- करताहां जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2025/007381 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 29 | अदालत हुसैन पिता- स्व0 बशी मियां ग्राम- नवका टोला पो0- जादो छापर थाना- कुमारबाग जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 11एफ2023/012314 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 30 | मीणा कुमारी पति- सुनील कुमार ग्राम- रून्नी पो0- भनसपट्टी थाना- रून्नी सैदपुर जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2025/007454 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 31 | शारदा देवी पति- स्व0 नागेन्द्र साह ग्राम- बेलही पो0- रामपुर थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/001445 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 32 | मीरा देवी पति- अशोक ठाकुर ग्राम- बंगरा मुजा पो0+थाना- देवरिया जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2023/003270 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|-----------|---------------------|
| 33 | अजय कुमार माझी पिता- कन्हैया माझी ग्राम- मल्लूपुर पो0+थाना- पचरुखी जिला- सिवान केस फाईल न0- 18एफ2026/003850 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 34 | शिवजी पूर्वे पिता- सीताराम पूर्वे ग्राम+पो0+थाना- मोहिउद्दीन नगर जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025/007409 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 35 | लक्ष्मी देवी पति- गोपाल राय ग्राम- सोन्दही पो0- कुम्मा थाना- सुरसड जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2025/003921 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 36 | बिलो ठाकुर पिता-मोहित लाल ठाकुर ग्राम-मिर्जापुर पोस्ट-खैराचंदा थाना- फुलकाहा जिला- अररिया केस फाइल न0- 19एफ2026/001948 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| | | | 23,25,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 23,25,000/- (तेईस लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 ~~002618~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हौस्पिटल,एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड स0 HDFC 0000084 मे अतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1287 (14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...002678 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **29.04.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एव पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|--------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | बबिता देवी पति— स्व० पप्पू मांझी ग्राम— अतौआ पो०— गोनवां थाना— नवादा जिला— नवादा | हृदय रोग डीभीआर | 1,50,000 | एक लाख पचास हजार स्वीकृत। |
| 2 | गीता देवी पति— अर्जुन यादव ग्राम— विशुनपुरवा पो०— सरसर थाना— सिवान मुफ्फसिल जिला— सिवान | हृदय रोग डीभीआर | 1,50,000 | एक लाख पचास हजार स्वीकृत। |
| | | | 3,00,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002618... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 50200060079860 खाता धारक का नाम— Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम— , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को**

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1288(14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002618 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. पी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक.. ..

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है-

| क्र० सं० | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|----------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रोजी प्रवीण पति- सरफराज आलम ग्राम- मलिकाना मसौड़ी वार्ड 31 पो०+थाना- मसौड़ी जिला- पटना | हृदय रोग बीएमवी | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| | | | 50,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स०-30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002678.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1289 (14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं०. 002618 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
6/5/26

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
HDNA AAROgyAM HOSPITAL,
IAS Colony, Behind Damro Furniture Showroom,
Off Rupaspur Flyover, Bailley Road, Rupaspur,
Patna – 801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सत्येन्द्र प्रसाद पिता- राम चन्द्र महतो ग्राम- मैनपुरा कुशवाहा पचायत भवन, पोस्ट-दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला-पटना | किडनी रोग | 30,000 | तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| | | | 30,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002678 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 41174672661, खाता धारक का नाम- CUREMARK HEALTHCARE PVT. LTD, खाते का प्रकार- CURRENT ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- SAGUNA MORE PATNA, RTGS/IFSC कोड सं०- SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ. माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1290(14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~102678~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

1291(14)

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
शेखर आई केयर एड लेजर सेटर
राजीव नगर रोड न०-0,
नाला पर आशियाना
पाटलीपुत्रा मार्ग केसरी नगर
पटना-800024

पटना, दिनांक 06/5/2026

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबंध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 29.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | चिता देवी पति- पुनीत राय ग्राम- दुधैला पो०- दुधैला थाना- मनेर जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 2 | धनपतिया देवी पति-सकलु राय ग्राम- मानस पो०-पानापुर थाना- दानापुर जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 3 | बिन्दा देवी पति- देवी दयाल ग्राम- बभन लाई पो० लई थाना- बिहटा जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 4 | एतवारिया देवी पति- मेघनाथ राम ग्राम-डुमरी बुजुर्ग पो०-डुमरी बुजुर्ग थाना- नया गाव जिला सारण | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------------|--------|------------------|
| 5 | नीलम कुमारी पति-सुनील शर्मा ग्राम- भारथु पोस्ट- भारथु थाना घोषी जिला जहानाबाद | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 6 | गीता देवी पति- स्व० प्रेम शंकर प्रसाद ग्राम- मुरादे टोला पो०- तेघरा थाना- तेघरा पुलिस स्टेशन जिला- बेगुसराय | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 7 | कबुतरी देवी पति- सिया शंकर राय ग्राम- मानस पो०- पानापुर थाना दानापुर जिला पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 8 | राज कुमारी देवी पति-दिनेश प्रसाद ग्राम- मानस पो० पानापुर थाना-दानापुर जिला पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 9 | पार्वती देवी पति- रजन चौधरी ग्राम- बभन लई पो० लई थाना- बिहटा जिला पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 10 | राज कुमार प्रसाद पिता- काशी प्रसाद राय ग्राम-रोड न०-16 राजीव नगर पोस्ट- केसरी नगर थाना रजीव नगर जिला पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 11 | कामेश्वर प्रसाद सिंह पिता- सरयुग सिंह ग्राम-गोपालपुर टोला पो०- गोपालपुर थाना लकडी नवीगज जिला-सीवान | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 12 | तुलसी राय पिता- हरी राय ग्राम- ब्रहाचारी शेरपुर पो०- शेरपुर थाना- मनेर जिला पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------------|--------|------------------|
| 13 | हरिद्र राय पिता- स्व० राम दयाल राय ग्राम- मानस पो० पानापुर थाना दानापुर जिला पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 14 | अकलु राय पिता- पथलु राय ग्राम- मानस पो०- पानापुर थाना- दानापुर जिला पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 15 | द्वारिका राय पिता- देवशरण राय ग्राम- मानस पो०-पानापुर थाना दानापुर जिला पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 16 | देवबली वर्मा पिता- रघुनन्दन वर्मा ग्राम- कोरावा पो०- कोरावा थाना नौबतपुर जिला पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 17 | सुन्दर राम पिता-मौजी राम ग्राम- कोरावा पो०- कोरावा थाना नौबतपुर जिला पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 18 | जुकदेव राय पिता कमला राय ग्राम- सैदपुर दिघवारा पो०- दिघवारा थाना दिघवारा जिला सारण | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 19 | रामनाथ माझी पिता- सितम्पर माझी ग्राम- ईशुपुर पो० मानुपुर थाना दीघवारा जिला सारण | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 20 | चिता राय पिता- अनुप राय ग्राम- ब्रहाचारी पोस्ट- शेरपुर थाना- मनेर जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------------|----------|------------------|
| 21 | अनुप कुमार पिता- प्रदीप कुमार अग्रवाल ग्राम+पो0-कटिहार थाना नगर जिला कटिहार | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 22 | गया राय पिता- रामेश्वर राय ग्राम-मानस पो0 पानापुर थाना दानापुर जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 23 | प्रहलाद राय पिता- विश्वनाथ राय ग्राम- मानस पो0- पानापुर थाना दानापुर जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 24 | राजेन्द्र बैठा पिता- जग्गा बैठा ग्राम- मानस पो0- पानापुर थाना दानापुर जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 25 | राम विनोद राय पिता- विश्वनाथ राय ग्राम- मानस पो0- पानापुर थाना दानापुर जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| | | | 2,50,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 ~~002678~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 291311100000760 खाता धारक का नाम- SHEKHAR EYE CARE AND LASER CENTRE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम- BAILEY ROAD, RTGS/IFSC कोड सं0- UBIN0829137 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
- 7 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1291 (14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002618 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सो 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | लालमती देवी पति-वकील राय ग्राम- जीवराखन टोला दरवेशपुर, पोस्ट- ब्यापुर थाना मनेर जिला पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 2 | बिसाखा देवी पिता- रघुनाथ राय ग्राम- निलकठ टोला गोरैया स्थान, पो०-ब्यापुर थाना- मनेर जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 3 | शिवरतीया देवी पति-स्व० भगवान राय ग्राम- निलकठ टोला गोरैया स्थान, पो०-ब्यापुर थाना- मनेर जिला पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 4 | शांति देवी पति- सुदल राय ग्राम- निलकठ टोला गोरैया स्थान, पो०-ब्यापुर थाना- मनेर जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------------|--------|------------------|
| 5 | अजु देवी पति- मोतिलाल राय ग्राम- नागा टोला गौरैया स्थान पो0- ब्यापुर थाना-मनेर जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 6 | राम भगवान पासवान पिता- श्याम नारायण पासवान ग्राम- मोरियावॉ पो0- हजरत सांई थाना- धनरूआ जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 7 | सीता देवी पति-रामेश्वर प्रसाद ग्राम- भोपतपुर पो0-सिरिस थाना बारूण जिला- औरंगाबाद | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 8 | राम अवधेश सिंह पिता- शिव देनी सिंह ग्राम- बहेडा पोस्ट-नसेज थाना- कुदरा जिला कैमुर भभुआ | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 9 | हुस्ना बानो पति- मो0 सकुर ग्राम- गरेडिया खड पोस्ट+थाना-जहानाबाद जिला-जहानाबाद | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 10 | मो0 मंजुर पिता- मो0 खलील ग्राम- मलकाना पोस्ट+थाना-मसौढी जिला- पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 11 | विश्वनाथ सिंह पिता- रामानन्द सिंह ग्राम- जीवराखन टोला पो0- जीवराखन टोला थाना- मनेर जिला- पटना | LE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 12 | तरुण कुमार यादव पिता- दरोगा यादव ग्राम-बसंत खोरी पाकर पो0- बसत थाना गरखा जिला- सारण | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 13 | लालपरी देवी पति-रघुवीर राय ग्राम-हबसपुर पोस्ट-गंगहारा थाना- शाहपुर जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 14 | सत्येन्द्र सिंह पिता- राम जन्म सिंह ग्राम-रामपुर दियारा पोस्ट+थाना मनेर जिला पटना | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------------|----------|------------------|
| 15 | अमर पटेल पिता-स्व० भुनेश्वर पटेल ग्राम- हाजीपुर पो०- हाजीपुर थाना- हाजीपुर जिला वैशाली | RE CATARACT | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,50,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002678...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1292(14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002678... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि पुज आई आस्पताल प्रा0 लि0,
नॉर्थ ऑफ रूपसपुर नहर ओवर ब्रिज,
विश्वेश्वरैया नगर, नियर गोला रोड पैट्रोल पम्प,
बेली रोड, पटना- 801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 29/04/2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | प्रियाशु कुमार पिता- जीतेन्द्र सिंह ग्राम+पो0- खजुहट्टी थाना- बैकुण्ठपुर जिला- गोपालगंज | Cataract surgery | 20,000 | बीस हजार स्वीकृत। |
| | | | 20,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 ~~002678~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 59207070084444 खाता धारक का नाम-DRISHTIPUNJ EYE HOSPITAL Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम HDFC BANK, शाखा का नाम Saguna More Branch, RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1293 (14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 0122678...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

सरदा देवी

पति- सुरेन्द्र प्रसाद

ग्राम- कारखाना टोला पतिलार

पो०- पतिलार

थाना- चौतरवा

जिला- पश्चिम चम्पारण

पिनकोड- 845101

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सरदा देवी पति- सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम- कारखाना टोला पतिलार पो०- पतिलार थाना- चौतरवा जिला- पश्चिम चम्पारण पिनकोड- 845101 | Post Kidney Transplant Medicine | 1,08,000 | एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में) |
| | | | ₹ 1,08,000 /- | |

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002678 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 1002371030150232, खाता धारक का नाम- SHARDA DEVI, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- UTTAR BIHAR GRAMIN BANK, शाखा का नाम- पतिलार, IFSC कोड सं०- CBIN0R10001 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० /-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख


ज्ञापांक 1309 (14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002678 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



AFFIDAVIT

मैं SHARDA DEVI, पति-स्व० सुरेन्द्र प्रसाद, ग्राम-कारखाना टोला, पोस्ट-पतिलार, थाना-चौतरवा, जिला-प० चम्पारण बिहार, पिन कोड:-845101 का स्थायी निवासी हूँ, तथा मैं शपथपूर्वक निम्नलिखित घोषणा करता हूँ :-

1. यह कि मेरा CR No.-2024488224 SGPGIMS Lucknow में दिनांक-12.02.2026 को गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है।
2. यह कि अस्पताल द्वारा दवा का खर्च सलाना-2,40,000/- रुपये का लागत बताया गया है जिसका मूल प्रति मैंने संलग्न किया है। गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु C.M. राहत कोष से मुझे CR No.-2024488224 SGPGIMS Lucknow पर 3,00,000/- (तीन लाख) रूपया का अनुदान राशि प्राप्त हुयी थी।
3. यह कि दवा खर्च हेतु गुर्दा प्रत्यारोपित मरीज को दी जाने वाली अनुदान की राशि प्रदान करने का कष्ट करें।

बैंक विवरण:-

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा-पतिलार, प० चम्पारण
खाताधारी का नाम- SHARDA DEVI
खाता संख्या-1002371030150232
I.F.C. Code :-CBIN0R10001

मैं पुनः घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र में लिखी गई सारी बातें मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है तथा सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

अतः यह शपथ पत्र है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर नि० शारदा देवी
शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाया

अधिवक्ता
12.2.26



सं० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

रवि रजन कुमार
पिता- परमानन्द शर्मा
ग्राम+पो०- बलिगाव
थाना- आयर
जिला- भोजपुर
पिनकोड- 802203

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रवि रजन कुमार पिता- परमानन्द शर्मा ग्राम+पो०- बलिगाव थाना- आयर जिला- भोजपुर पिनकोड- 802203 | Post Kidney Transplant Medicine | 1,08,000 | एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में) |
| | | | रु० 1,08,000/- | |

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002648... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 0376108075671, खाता धारक का नाम- RAVI RANJAN KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CANARA BANK, शाखा का नाम- ARRAH, IFSC कोड सं०- CNRB0000376 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1310(14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स०. ~~002678~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


06/5/26
निदेशक प्रमुख

CANARA BANK

Corporate Office: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Branch: 802203

IFSC Code: CNRB000 and MICR Code: 9520 3102

Tel No: 182221237 Fax No: 981

Email ID: 60376@canarabank.com

Full: 00000000

Pay No: 00000000000000000000

ACCOUNT DETAILS:

Account No: 0376108075671

NAME(S) DETAILS:

RAVIRANJAN KUMAR
खाता सं. Account No.

नाम Name(s)

Student

Occupation

Address

**S/O-PRAMANAND SHARMA, R/O-BATI GOYANI
DIST-BHOJPUR,ARA-802203-BH-INDIA**

व्यवसाय Occupation

PIN/ZIP number: 802203

Customer ID: 67527383

D.O.B: 05-AUG-1995

A/C Opened On

14-OCT-2011

Mobile No: 981

PR: 05-OCT-2018

जारी तिथि: Date of Issue

Mobile No: 981

Home

PAK: 00000000000000000000

KYC: 00000000

Number Reg.N

EPG No.

**Mention 13 digit account number
for all inward RTGS/NEFT
remittances and enjoy hassle free
direct credit to your account.**

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अनूप प्रसाद
पिता- भुटी प्रसाद
ग्राम- खैरटिया इंद्रा नगर
पो०- बेतिया डीह
थाना- मनुआपुल
जिला- पश्चिम चम्पारण
पिनकोड- 845438

पटना, दिनांक..... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अनूप प्रसाद पिता- भुटी प्रसाद ग्राम- खैरटिया इंद्रा नगर पो०- बेतिया डीह थाना- मनुआपुल जिला- पश्चिम चम्पारण पिनकोड- 845438 | Post Kidney Transplant Medicine | 1,08,000 | एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में) |
| | | | रु० 1,08,000/- | |

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002678 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 35504593963, खाता धारक का नाम- ANUP PRASAD, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, IFSC कोड सं०- SBIN0014306 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1311 (14)

पटना, दिनांक 06/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ११०२६१४ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

Gen. abbreviations


| | |
|--------------------------------|--|
| dep = Deposit | Pr = Principal |
| Dft = Draft | proc = Processing Charge |
| dish/dsh = Dishonour | rd = Recurring Deposit |
| DR = Debit | ret/rtn = Return |
| DoB = Date of Birth | Rnd = Round off |
| eft = Electronic Fund Transfer | sb = Saving Bank |
| Inop = Inoperative | SC = Short Credit |
| ins = Insurance | S/So/SOR = Standing Instruction |
| in/in = Interest | S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband o |
| ln/in = Loan | tr/trf/xfer = Transfer |
| in = M | TT = Telegraphic Transfer |
| | txn = Transaction |
| tram | Wdl = Withdrawal |
| | +MOD bal = total balance (SB+linked MOD acc) |

**SBI - KIOSK BANKING
Identity Card**

Cif Number: 88866308119
Account Number: 35504593963
IFSC Code: SBIN0014306
First Name: ANUP
Middle Name:
Last Name: PRASAD
Address: S/O- BHUTTI PRASAD, AT-
 KHAIRATIYA
 W/NO- 14
 DIST-WEST CHAMARAN
Village Name: PG- BETTIARDIH
PinCode: 845438
KO Name: RAVI KUMAR
KO Location: BETTIAH



ATTESTED



स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

पंकज वर्मा
पिता- अयोध्या सिंह
ग्राम- महुली
पो०- बडकी महुली
थाना- करगहर
जिला- रोहतास
पिनकोड- 821113

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 29.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पंकज वर्मा पिता- अयोध्या सिंह ग्राम- महुली पो०- बडकी महुली थाना- करगहर जिला- रोहतास पिनकोड- 821113 | Post Kidney Transplant Medicine | 1,08,000 | एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में) |
| | | | रु० 1,08,000/- | |

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002678 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 42344732963, खाता धारक का नाम- PANKAJ VERMA, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- KONAR, IFSC कोड स०- SBIN0015356 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

निदेशक प्रमुख
06/5/2026

प्रतिनिधि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्याार्थ प्रेषित।
दिया जाय।

प्रतिनिधि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेनी रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सतन चेक स०...002678 की कृल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर

पटना, दिनांक 06/5/2026

ज्ञापक 1312(14)

SBIyono
OSBI Lifestyle &
Banking, done.पासबुक
PASS BOOK

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिह्न (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, आंटीपी, कार्ड क्रमांक, सीवीवी, पिन, आदि किसी के साथ साझा ना करें।
- अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक ना करें।
- अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें।
- एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB संक्षिप्त कोड के साथ ही आयेगे। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/180011109.

Tips for Secure Banking

- Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application on the advice of strangers.
- SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" only, e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/180011109.

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.
For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>

SBI

Branch: KONAR Code: 15356
AT- KONAR PO-BARADIH

Email: sbi.15356@sbi.co.in
Phone No.: 8789078878
IFSC: SBIN0015356

Buss. Hrs: 10:00:00-16:
MICR: 821002712

Name: Mr. Pankaj Verma
S/D/H/o : AYODHYA SINGH
CIF Number : 91317767213
Account No.: 42344732963
A/c Type : REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT

MOP: SINGLE
A/c Opening Dt: 11/10/
Nom Reg No: 0000000432
Customer's PAN: BDKPV9

